प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूस)

प्रश्न सं. 1 योजना की प्रकृति क्या है ?

योजना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसकी अवधि एक वर्ष है, जिसका नवीकरण प्रत्येक वर्ष किया जा सकता है और जो कि दुर्घटनावश मृत्यु एवं विकलांगता के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रश्न सं. 2 योजना के अंतर्गत लाभ तथा देय प्रीमियम क्या होगा ?

लाभ निम्नानुसार है:

	लाभ की तालिका	बीमित राशि
क)	मृत्यु	2 लाख रूपये
ख)	दोनों आंखों की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आंख की नजर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना।	2 लाख रूपये
ग)	एक आंख की नजर की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना।	1 लाख रूपये

प्रीमियम :- प्रत्येक सदस्य द्वारा 12/- रूपये प्रतिवर्ष ।

प्रश्न सं. 3 प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा ?

नामांकन में दिए गए विकल्प के अनुसार यह प्रीमियम राशि खाताधारी के बचत बैंक खाते से ''स्वत:नामे'' सुविधा के अनुसार एक किश्त में काट ली जाएगी। वर्ष दर वर्ष योजना के अनुभव की समीक्षा के दौरान पुन:जांच में आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन के अध्याधीन सदस्य योजना के लागू रहने तक प्रति वर्ष ''स्वत:नामे'' का एकबारगी अधिदेश भी दे सकते हैं।

प्रश्न सं. 4. योजना को प्रस्तावित/संचालित कौन करेगा ?

योजना को सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां (पीएसजीआईसी) तथा अन्य साधारण बीमा कंपनियां जो कि समान शर्तों पर भागीदार बैंकों के सहयोग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करके उत्पाद को प्रस्तावित करने की इच्छुक हैं, के माध्यम से प्रस्तावित/संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही, इस योजना में सहभागिता रखने वाले बैंक भी अपने पात्र ग्राहकों हेतु योजना के कार्यान्वयन के लिए ऐसी किसी भी साधारण बीमा कम्पनी की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

प्रश्न सं. 5. सदस्यता के लिए कौन पात्र होगा?

सहभागी बैंकों में 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु वाले समस्त बचत बैंक खाताधारी इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं। यदि किसी व्यक्ति के एक अथवा विभिन्न बैंकों में कई बचत बैंक खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के द्वारा ही इस योजना में शामिल हो सकता है।

प्रश्न सं. 6. नामांकन की अवधि तथा विधि क्या है?

01 जून, 2015 से 31 मई, 2016 तक प्रारंभ में कवर अवधि के उद्घाटन पर सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना स्वत: नामे विकल्प 31 मई, 2015 तक दें। यह समय सीमा 31 अगस्त, 2015 तक बढ़ायी जा सकती है। इस तिथि के बाद विनिर्दिष्ट शर्तों पर पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना में शामिल होना संभव हो सकता है। वे सदस्य जो कि पहले वर्ष के उपरांत योजना को कायम रखना चाहते हैं उनसे यह आशा की जाती है कि वे आगामी वर्षों के लिए प्रत्येक अगली 31 मई से पहले स्वत: नामे के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे। इस तिथि के बाद निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना का नवीकरण संभव हो सकता है।

प्रश्न सं. 7 क्या वे पात्र व्यक्ति जो कि प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल नहीं हो पाए, बाद के वर्षों में योजना में शामिल हो सकते हैं?

जी, हां। स्वतःनामे के माध्यम से प्रीमियम के भुगतान पर। तदनुसार भविष्य के वर्षों में नए पात्र प्रवेशकर्ता भी जुड़ सकते हैं।

प्रश्न सं. 8 क्या जो व्यक्ति योजना छोड़ जाते हैं वे फिर से जुड़ सकते हैं?

किसी भी समय योजना को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति भविष्य के वर्षों में वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना में फिर से जुड़ सकते हैं जो कि यथा निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा।

प्रश्न सं. 9 योजना के लिए मास्टर पॉलिसी धारक कौन होगा?

सहभागी बैंक मुख्य पॉलिसीधारक होंगे। सहभागी बैंकों के परामर्श से पीएसजीआईसी/चयनित साधारण बीमा कंपनी द्वारा सरल और सदस्य हितैषी प्रशासन और दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रश्न सं. 10 सदस्य का दुर्घटना कवर कब समाप्त हो सकता है?

निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त/सीमित हो जाएगा:

1) 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के निकटतम आयु) प्राप्त करने पर।
2) बैंक खाते की समाप्ति या बीमा जारी रखने के लिए शेष राशि की अपर्याप्तता।
3) यदि सदस्य एक-से अधिक खातों से कवर होता है और बीमा कंपनी को प्रीमियम अनजाने में प्राप्त होता है, तो बीमा कवर को एक खाते तक सीमित कर दिया जाएगा और प्रीमियम को जब्त किया जा सकता है।

प्रश्न सं. 11 बीमा कंपनी तथा बैंक की क्या भूमिका होगी?

i. योजना का संचालन पीएसजीआईसी अथवा किसी अन्य साधारण बीमा कंपनी, जो कि एक बैंक/बैंकों के साथ सहभागिता में ऐसे उत्पाद को प्रस्तावित करने को इच्छुक हो, द्वारा किया जाएगा।

ii. खाताधारकों से प्राप्त विकल्प के अनुसार उचित वार्षिक प्रीमियम को देय तिथि को अथवा उससे पहले, स्वतःनामे प्रक्रिया के माध्यम से वसूल करने तथा बीमा कंपनी को देय राशि को अंतरित करने का उत्तरदायित्व सहभागी बैंक का होगा।

iii. अपेक्षानुसार सहभागी बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नामांकन फार्म/स्वत:नामे प्राधिकरण/सहमति सह-घोषणा फॉर्म प्राप्त किया जाएगा और रखा जाएगा। दावा प्राप्त होने की स्थिति में, पीएसजीआईसी/बीमा कम्पनी इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को कह सकती है। पीएसजीआईसी/बीमा कम्पनी द्वारा किसी भी समय इन दस्तावेजों को मंगाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

प्रश्न सं. 12 प्रीमियम का विनियोजन कैसे होगा?

1) पीएसजीआईसी/अन्य बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियम: प्रति सदस्य 10 रूपये प्रति वर्ष;
2) बीसी/सूक्ष्म/कारपोरेट/एजेंट को व्ययों की प्रतिपूर्ति: प्रति सदस्य 1 रूपये प्रति वर्ष;
3) भागीदार बैंक को संचालन व्यय की प्रतिपूर्ति: प्रति सदस्य 1 रूपये प्रति वर्ष।

प्रश्न सं. 13 क्या यह कवर किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत जिसमें सदस्य कवर हो, के कवर से अतिरिक्त होगा?

जी, हां।

*****